गोंड जनजाति पर शिक्षा का प्रभाव : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन ।

[1]डॉ0 कमलेश पाल

शोध सारांश

विभिन्न संस्कृतियों की अनेकता में एकता का जैसे एक आकर्षक गुलदस्ता है, 'हमारा भारत' और भारत की संस्कृति में मध्य प्रदेश जगमगाते दीपक के समान है, जिसकी रोशनी की सर्वथा अलग प्रभा और प्रभाव है। मध्य प्रदेश जिसे प्रकृति ने राष्ट्र[a] की वेदी पर जैसे अपने हाथों से सजाकर रख दिया है, जिसका सतरंगी सौन्दर्य और मनमोहक सुगन्ध चारों ओर फैल रहा है। यहां के जनपदों की आबोहवा में कला, साहित्य और संस्कृति की मधुमयी सुवास तैरती रहती है। यहाँ के लोक समूहों और जनजाति समूहों में प्रतिदिन नृत्य, संगीत, गीत की रसधारा सहज रुप से फूटती रहती है। यहां का हर दिन पर्व की तरह आता है और जीवन में आनन्द रस घोलकर स्मृति के रुप में चला जाता है। इस प्रदेश के तुंग-उत्तुंग, शैल-शिखर,विन्ध्य-सतपुड़ा, मैकाल-कैमूर की उपत्यिकाओं के अंतर से गूंजते अनेक पौराणिक आख्यान और नर्मदा, सोन, सिंध, चम्बल, बेतवा, केन, धसान, तवा, ताप्ती आदि सर-सरिताओं के उद्‌गम मिलन से फूटती सहस्त्र धारायें यहां के जीवन को आप्लावित ही नहीं बल्कि परितृप्त भी करती हैं।

मूल शब्द: गोंड जनजाति, शिक्षा, मध्य प्रदेश, सामाजिक-आर्थिक जीवन ।

Corresponding author

[1]सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग ,वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जौनपुर

प्रस्तावना

1 नवम्बर, 1956 को गठन हुए मध्यप्रदेश में भोपाल को उसकी राजधानी बनाया गया। वर्तमान स्वरुप में मध्य प्रदेश 1नवम्बर, सन् 2000 को अस्तित्व में तब आया, जब छत्तीसगढ राज्य का बंटवारा हो गया। मध्य प्रदेश राज्य देश के मध्य में स्थित है, इसी कारण मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। 1

नवम्बर, 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ से अलग होने के पश्चात् इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ , महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती हैं। राज्य का क्षेत्रफल तीन लाख, आठ हजार, दो सौ, बावन (3,08,252) वर्ग कि0 मी0 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 7,26,26,806 है।

मध्य प्रदेश विभिन्न जनजाति के लोगों से अच्छादित है। विभिन्न आदिवासी समुदायों के अन्तर को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो कि न सिर्फ उनके आनुवांशिकी जीवन-शैली और सांस्कृतिक परम्पराओं पर आधारित है। बल्कि उनके सामाजिक-आर्थिक संरचना, धार्मिक विश्वास, भाषा और बोली पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी समूह विकास की मुख्य धारा से अलग-थलग रहे हैं। जिसकी वजह से विभिन्न भाषायी एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सुरक्षित रही है।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या (2011) 1,53,16,784 है। जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 18.46 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में 46 चिन्हित अनुसूचित जनजातियां हैं जिसमें से तीन को प्रदेश में विशेष प्रारंभिक आदिवासी समूह माना जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख आदिवासी समूह गोंड, बैगा, भील, कोरकू, मारिया, हलवा, कोल, भारिया और सहरिया हैं। धार, झाबुआ और मंडला जिलों में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा जनजातियां रहती हैं। खरगोन,बैतूल,छिंदवाड़ा,सिवनी,सीधी और शहडोल जिलों में 30 से 50 प्रतिशत तक जनजातियां रहती हैं।

गोंड भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी तथा जंगली भागों में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। जिनमें सर्वाधिक संख्या गोंड जनजाति की है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीनकाल मंे गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी। जिसके राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16वीं शताब्दी तक था।

गोंड शब्द की शाब्दिक उत्पत्ति के साथ इनकी जीवन-शैली पहनावा और आराधना की पद्धतियों को आधार बनाकर इनकी उत्पत्ति के बारे में अद्यतन समाजशास्त्रियों द्वारा मंथन एवं विचार किया जाता रहा है। कुछ का दृष्टिकोण इनके पहनावे के आधार पर है तो कुछ समाजशास्त्रियों की मान्यता इनके प्रवास के मिलते क्रमिक विकास के आधार पर है। इतिहास का प्रमुख आधार साहित्य हुआ करता है और भारतीय साहित्य मिथकों से भरा पड़ा है। पुराणों में इतिहास का लेखन ही मिथकीय शैली में हुआ है। भारतीय जनजातियों के सन्दर्भ में अनेक मिथक या पुराकथायें प्रचलित हैं। गोंड जनजातियों की भी उत्पत्ति संबंधी मिथकों की एक श्रृंखला है। गोंड स्वयं को गोंड नही अपितु 'कोयतोर' कहते हैं और गोंडों की अनेक उपजातियां है। गोंड शब्द

श्ज्ञव्छक्श् (कोंड) का हिन्दी रुपान्तर है जिनके लिए ''कोयतोर' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'हिसलप' के अनुसार-गोंड या 'गुण्ड' शब्द कोंड या कुंड का विकृत रूप है। कोंड शब्द तेलगू के कोण्डा से निकला है जिसका अर्थ पर्वत होता है। इस प्रकार गोंड शब्द को पर्वत में रहने वाले का पर्यायवाची माना जाता है।

छिंदवाड़ा एवं बैतूल जिले को मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के बहुमुखी नगरी के रूप में देखा और जाना जा सकता है यहाँ पर मूलरूप से तो आदिवासी संस्कृति के परिवेश में बसी हुई इस समाज की सामाजिक धरोहर नजर आती है किन्तु कोल इंडिया के प्रमुख श्रोत के रूप में उत्पन्न कोल इंडिया के संसाधनों में सम्पूर्ण भारत की संस्कृति के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों के बीच भी यह आदिवासी समाज की समस्यायें एवं उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा एवं उसकी पद्धति, इनके वैवाहिक जीवन, इनकी भाषा, शिक्षा के स्तर आदि को देखकर इसके पिछड़ेपन के कारण इसको को अलग से ही पहचाना जा सकता है। व्यवसाय में बर्तन बनाना, चटाई टोकरी एवं सूपा के साथ आदिवासियों की जीवन-शैली लिए इस क्षेत्र का अधिकांश आदिवासी आज भी अपने उपयोग के लिए विभिन्न खाद्य वस्तुयें जंगलों से प्राप्त करता है। मैंने इस शोध यात्रा के दौरान यहॉ की साप्ताहिक बाजारों में सुदूर ग्रामीणों से आने वाले आदिवासियों को वनों से खोदकर लाये विभिन्न प्रकार के कांदा, छिन्दो कांदा, पाजर कांदा, चांदी कांदा आदि को सुखाकर एवं भूनकर खाते देखा। वन सिंघाड़ा एवं वन अदरक का औसत के अनुरूप उपयोग करते देखा। इन आदिवासियों के सब्जियों का श्रोत भी वन ही दिखाई देता है। महुआ, गोंद, चिरौंजी, मकोई, आंवला, गूलर, इमली आदि को भोजन के रूप में अपनाने वाले अधिकांश आदिवासियों का सामाजिक-आर्थिक जीवन महुआ पर केन्द्रित है। खनिज उत्खनन में मजदूरी करना ही इनकी सर्वोच्च उपलब्धि दिखाई देती हैं। संयोग से आदिवासी क्षेत्र वन सम्पदा की भाँति खनिज सम्पदा में भी सम्पन्न है और छिंदवाड़ा एव बैतूल जिले में कोयले का अकूत भंडार है। इस कारण से आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर भी बदला हुआ प्रभाव दिखाई देता है। अध्ययन हेतु चयनित तहसील आमला एवं जुन्नारदेव दोनों स्थानों पर शासकीय महाविद्यालय स्थापित है। यद्यपि कि इन महाविद्यालयों के अध्ययन अध्यापन व्यवस्था को इस क्षेत्र का आदिवासी समाज न तो अपेक्षाकृत प्रभावित कर पाया है और न ही लाभान्वित हो पाया है। इस अनुशीलन के दौरान मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ाने मात्र से जुन्नारदेव एवं आमला के आदिवासियों में साक्षरता का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। आदिवासी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान मुझे देखने को मिली कि प्रत्येक बालक-बालिका एक मुँह के साथ दो हाथ लेकर आता है और अपने परिवार का वह कार्यकर्ता बना रहता है परिणामतः वह कमाने लगता है। फलतः उसे या तो स्कूल भेजा नहीं जाता अथवा वह केवल मध्यान्ह भोजन मात्र के लिए अल्पकालिक एवं नियमित होता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का भ्रमण करने के दौरान मैंने पाया कि माध्यमिक विद्यालयों की उम्र तक वह कमाऊँ पूत समझा

जाने लगता है। तमाम शासकीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं के बाद भी आदिवासियों में साक्षरता बहुत कम है। यद्यपि कि इस तथ्य से इन्कार नही किया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के विभिन्न कार्यक्रमों एवं सामान्य कल्याणकारी योजनाओं के फलस्वरूप इनकी साक्षरता में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। परन्तु यह वृद्धि आदिवासी जनसंख्या को सामान्य जनसंख्या के समकक्ष नहीं ला सकती है। जहाँ तक स्त्री और पुरुष साक्षरता की दरों का प्रश्न है, शासकीय आँकड़ें चाहे कुछ भी बताते हों पर मुझे तो साक्षर पुरुष और स्त्रियों का अनुपात 5 और 1 ही नजर आता है। जुन्नारदेव का आदिवासी समाज भले ही कोल इण्डिया के सम्पर्क में हो लेकिन वह अपनी भाषायी संस्कृति को संभाले हुये है। बहु भाषा-भाषी क्षेत्र होने के बावजूद भी आदिवासी समुदाय की वेश-भूषा, रीति-रिवाज, खान-पान, बोली-भाषा प्रभावित हो रही है किन्तु ये अपनी बोलियों एवं भाषाओं को अभी भी अपनाते नजर आते हैं। आदिवासी अभी भी अपनी बोलियाँ संजोए हैं इसमें संदेह नही है। अतः विकास की योजनायें बनाते समय शासन को इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को अपनाने में आदिवासी शिक्षा की तुलना में अब भी पीछे हैं। आज भी स्वास्थ्य संबंधी उनके विचार, अंधविश्वास एवं धर्म के नियमों से नियंत्रित होते हैं। केवल अस्वस्थता की चरम सीमा आने पर ही वह अपने धार्मिक आदेशों की सीमा लांघने के लिए विवश होते हैं और अस्पताल एवं डाक्टर के पास जाते हैं।

मैंने इस शोध यात्रा के दौरान परिचर्चा के बाद यह निष्कर्ष पाया कि आदिवासियों में कोई बीमारी या प्रकोप हो तो उसके वे केवल दो ही कारण मानते हैं। एक ग्रामी देवी-देवता का क्रुद्ध होना दूसरा जादू-टोना एवं भूत-टोटका। यहॉ की सामाजिक व्यवस्था में अस्वस्थता के इन दोनों कारणों को दूर करने के लिए किये गये उपायों का अनुशीलन करने पर पाया कि गाँव में अलग-अलग विशेषज्ञ नियत होते हैं। पौधों की जड़ से लेकर पत्ती तक की उपयोगिता का ज्ञान इन्हें होता है। इस संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह आया कि इस शोध कार्य के दौरान आधुनिक चिकित्सा पद्धति के सहारे स्वास्थ्य परीक्षण कराने वाले की मृत्यु पर ये विशेषज्ञ आधुनिक पद्धतियों की विफलता को उजागर करते हुए अपनी धाक जमाने की कोशिश करता है। इस तरह वह अपनी अनन्त कालीन विश्वास और अपने रूढ़िवादी विचार को तोड़ नही पाता है। अगर आता भी है तो वह सरकारी तंत्र की लम्बी प्रक्रिया से बच निकलने के लिए निजी डाक्टरों के पास जाता है। शासकीय चिकित्सालय हो जाने के बाद भी इस तरह की अवरोधक प्रक्रिया निश्चित ही अलग शोध का विषय है।

मध्य प्रदेश 'जनजाति' बाहुल्य प्रदेश है जिसमें भारत की अधिकांश जनजातियां निवास करती हैं। प्रदेश में लगभग 1,53,16,784 अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते हैं, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 18.46 प्रतिशत है। जिसमें गोंड जनजाति की कुल जनसंख्या 43,57,918 है, जिसमें 21,90,962 पुरुष तथा 21,66,956 महिलाएं हैं। इसी प्रकार छिंदवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुल जनसंख्या

6,41,421 है। जिसमें से गोंड जनजाति की जनसंख्या 5,30,485 है जिसमें 2,66,259 पुरुष तथा 2,64,226 महिलाएं हैं।

छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जिले के रूप में जाना जाता है। जिसका क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किमी0 है और प्रदेश के 3.85 प्रतिशत क्षेत्रफल का हिस्सा है। छिंदवाड़ा जिले का गठन 1 नवम्बर, 1956 को हुआ था। यह सतपुड़ा श्रृंखला पर्वत क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित है। यह 21.28 से 22.49 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 78.40 से 79.24 डिग्री पूर्वी देशान्तर के मध्य में स्थित है। यह जिला दक्षिण में महाराष्ट्र के नागपुर जिले से घिरा है, उत्तर में होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले से, पश्चिम में बैतूल से और पूर्व में सिवनी जिले से घिरा है। जिले के अंदर समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की ऊचांई 862 से 1200 मी0 है। छिंदवाड़ा जिले की लम्बाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 130 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई लगभग 136 किलोमीटर है। जिले का नाम उसके मुख्यालय नगर से है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि 'छीन्द ' एवं खजूर के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इस जिले का नाम छिंदवाड़ा रखा गया है। सम्पूर्ण जिला चतुर्भुज के आकार में भारत की हृदयस्थली मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में स्थित है। सम्पूर्ण जिले का विस्तार जबलपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम से दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर मैदान से लेकर उत्तर में नर्मदा घाटी तक है। जिले का 70 प्रतिशत भाग गोदावरी के कछार में आता है जिसकी प्रमुख सहायक नदियां कन्हान, पेंच एवं वर्धा है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तथा जिले का 30 प्रतिशत भाग नर्मदा के कछार में आता है जिसकी प्रमुख सहायक नदियां शक्कर, सीता रेखा, देनवा, दूधी एवं तवा है जो उत्तर की ओर बहती हुई नर्मदा से मिलती है। छिंदवाड़ा जिला 12 तहसीलों मे विभक्त है-जिसमे छिंदवाड़ा, हर्रई, मोहखेड़ परासिया, जुन्नारदेव, उमरेठ, तामिया, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, सौंसर और पाढुर्ना है।

सारणी 01

शैक्षणिक योजनाओं का लाभ आसानी से मिलने की स्थिति।

क्र.	शैक्षणिक योजनाओं के लाभ की स्थिति	पुरूष		महिला		कुल	
		सं	प्रति	सं	प्रति	सं	प्रति
1	हाँ	126	84.00	128	85.33	254	84.67
2	नहीं	20	13.33	22	14.67	42	14.00

3	तटस्थ	04	2.67	00	00.00	04	1.33
	योग	150	100.00	150	100.00	300	100.00

सारणी क्र0 01 में शैक्षणिक योजनाओं के लाभार्थियों का अध्ययन किया गया है। जिसमें पुरूष उत्तरदाताओं में 84.00 प्रतिशत का कहना है कि उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है जबकि 13.33 प्रतिशत लोगों का कहना है कि शैक्षणिक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार महिला उत्तरदाताओं में से 85.33 प्रतिशत को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है। जबकि 14.67 प्रतिशत को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार कुल पुरूष एवं महिला उत्तरदाताओं में से 84.67 प्रतिशत का कहना है कि उन्हें शैक्षणिक योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है। जबकि मात्र 14.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें शैक्षणिक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।

अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि इतना अधिक शैक्षणिक योजनाओं का लाभ जनजातियों को मिलना निश्चित ही शासकीय सफलता कही जायेगी। प्रायः जनजातियां शासकीय सुविधाओं एवं योजनाओं से अनभिज्ञ रहती हैं परन्तु इतना अधिक लाभ प्राप्त करना शासन की सफलता ही माना जायेगा।

सारणी 02:

पंचायतों के माध्यम से शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने की स्थिति।

क्र.	शिक्षा के लिए प्रेरित	पुरूष		महिला		कुल	
		सं	प्रति	सं	प्रति	सं	प्रति
1	हाँ	56	37.33	26	17.33	82	27.33
2	नहीं	94	62.67	124	82.67	218	72.67
	योग	150	100.0	150	100.00	300	100.00

सारणी क्र0 02 में पंचायतों के माध्यम से जनजातियों को प्रेरित किये जाने की स्थिति का अध्ययन किया गया है। जिसमें पुरूष उत्तरदाताओं में से 37.33 प्रतिशत द्वारा स्वीकार किया जाता है कि उन्हें पंचायतों से प्रेरणा दी जाती है। जबकि 62.67 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि ऐसा पंचायतों के माध्यम से नहीं किया जाता है।

महिला उत्तरदाताओं में से 17.33 प्रतिशत द्वारा प्रेरणा के पक्ष में विचार प्रस्तुत किया जाता है। जबकि 82.67 प्रतिशत महिला उत्तरदाता प्रेरणा के विपक्ष में अपना विचार प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार कुल पुरूष एवं महिला उत्तरदाताओं में से 27.33 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। जबकि 72.67 प्रतिशत ने किसी भी प्रेरणा से इनकार किया।

अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो लोग सक्रिय रहते हैं उन्हें पंचायतों की बैठकों एवं कार्यप्रणालियों की जानकारी रहती है जिसका लाभ भी उन्हीं लोगों को मिलता है।

सारणी 03:

शिक्षा प्राप्त करने में भाषा की समस्या।

क्र.	भाषागत समस्या	पुरूष		महिला		कुल	
		सं	प्रति	सं	प्रति	सं	प्रति
1	हाँ	68	45.33	28	18.67	96	32.00
2	नहीं	76	50.67	12	8.00	88	29.33
3	तटस्थ	06	4.00	110	73.33	116	38.67
	योग	150	100.00	150	100.00	300	100.00

सारणी क्र0 03 में शिक्षा प्राप्त करने में भाषा की समस्या का अध्ययन किया गया है। जिसमें 45.33 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें शैक्षणिक पाठयक्रमों में भाषागत समस्या का सामना करना पड़ता है। जबकि 50.67 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं का कहना है कि जनजातियां भी हिन्दी भाषा को समझ लेते हैं और उन्हें पाठयक्रमों में भाषा की समस्या उत्पन्न नहीं होती हैं। महिला उत्तरदाताओं में 18.67 प्रतिशत का कहना है कि भाषागत समस्या उत्पन्न होती है। जबकि 8.00 प्रतिशत का कहना है कि उन्हें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। जबकि 73.33 प्रतिशत महिला उत्तरदाता इस प्रश्न पर कुछ भी कहने से इन्कार करते हैं।

अतः इससे स्पष्ट होता है कि जनजातियां भी हिन्दी भाषा को आसानी से समझ लेती हैं। जिससे अब उन्हें कोई विशेष भाषागत समस्या नहीं होती है। परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्तिगत एवं शासकीय समस्या भाषा के द्वारा उत्पन्न नहीं होती है।

सारणी 04:

वर्तमान में गोंडी भाषा का प्रभाव।

क्र.	गोंडी भाषा का प्रभाव	पुरूष		महिला		कुल	
		सं	प्रति	सं	प्रति	सं	प्रति
1	हाँ	126	84.00	76	50.67	202	67.33
2	नहीं	24	16.00	74	49.33	98	32.67
	योग	150	100.00	150	100.00	300	100.00

सारणी क्र0 04 में गोंडी भाषा के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। जिसमें 84.00 प्रतिशत पुरूष उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि आज भी जनजातियों में गोंडी भाषा का प्रभाव है जबकि 16.00 प्रतिशत का कहना है कि अब गोंडी भाषा का प्रभाव उतना अधिक नहीं है। महिला उत्तरदाताओं में 50.67 प्रतिशत गोंडी भाषा के प्रभाव के पक्ष में जबकि 49.33 प्रतिशत गोंडी भाषा के प्रभाव के विपक्ष में अपना विचार प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार कुल पुरूष एवं महिला उत्तरदाताओं में से 67.33 प्रतिशत गोंडी भाषा के प्रभाव के पक्ष में अपना मत व्यक्त करते हैं जबकि 32.67 प्रतिशत गोंडी भाषा के विपक्ष में अपना विचार व्यक्त करते हैं।

अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि गोंडी भाषा का प्रभाव धीरे-धीरे अब कम होता जा रहा है। इसका कारण यह कि अब जनजातीय लोग शहरों एवं महानगरों की ओर पलायन करने लगे हैं जिससे इनकी अपनी गोंडी भाषा का प्रभाव अब कम होती जा रही है।

सारणी 05 :

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदाताओं पर प्रभाव।

क्र.	शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव	पुरूष		महिला		कुल	
		सं	प्रति	सं	प्रति	सं	प्रति
1	हाँ	146	97.33	56	37.33	202	67.33
2	नहीं	04	2.67	74	49.33	78	26.00
3	तटस्थ	00	00.00	20	13.33	20	6.67
	योग	150	100.00	150	100.00	300	100.00

सारणी क्र0 05 में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदाताओं पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। जिसमें पुरूष उत्तरदाताओं में 97.33 प्रतिशत वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के प्रभाव के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये। जबकि 2.67 प्रतिशत अपने विचार विपक्ष में व्यक्त किये। महिला उत्तरदाताओं में 37.33 प्रतिशत शिक्षा व्यवस्था के प्रभाव के पक्ष में जबकि 49.33 प्रतिशत विपक्ष में अपना विचार प्रस्तुत किये और 13.33 प्रतिशत इस प्रश्न पर कुछ भी कहने से इन्कार कर दिये। इसी प्रकार अध्ययन में सम्मिलित कुल पुरूष एवं महिला उत्तरदाताओं में से 67.33 प्रतिशत ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के प्रभाव के पक्ष में एवं 26.00 प्रतिशत विपक्ष में तथा 6.67 प्रतिशत उत्तरदाता इस बारे में कुछ भी कहने से इन्कार कर दिये हैं।

अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव जनजातियों पर व्यापक रूप से पड़ा है। परिणामस्वरूप ये शिक्षा के प्रति संवेदनशील हो गये हैं। इस प्रकार से ये लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं।

सारणी 06:

वर्तमान शिक्षा से संस्कार ,परम्परा में परिवर्तन की स्थिति

क्र.	शिक्षा से संस्कार में परिवर्तन	पुरूष		महिला		कुल	
		सं	प्रति	सं	प्रति	सं	प्रति
1	हाँ	136	90.67	68	45.33	204	68.00
2	नहीं	14	9.33	22	14.67	36	12.00
3	तटस्थ	00	00.00	60	40.00	60	20.00
	योग	150	100.00	150	100.00	300	100.00

सारणी क्र0 06 में शिक्षा से संस्कार एवं परम्परा में परिवर्तन का अध्ययन किया गया है। जिसमें पुरूष उत्तरदाताओं में से 90.67 प्रतिशत का कहना है कि शिक्षा से उनके संस्कार में परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार महिलाओं में 45.33 प्रतिशत का कहना है कि उन्हें शिक्षा से संस्कार में परिवर्तन हुआ है। इससे उनके रहन-सहन में भी काफी परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार कुल उत्तरदाताओं में से 68.00 प्रतिशत संस्कार में परिवर्तन के पक्ष में, 12.00 प्रतिशत विपक्ष में तथा 20.00 प्रतिशत तटस्थ रूप से अपने विचार व्यक्त किये।

अतः इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा से जनजातियों के संस्कार में परिवर्तन होने लगा है। अब इनमें भी अच्छी सोच विकसित हो रही है जिससे इनके रहन-सहन, इनकी महत्वाकांक्षाएं एवं एक-दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो रही है। प्रायः जनजातियां सभ्य समाज से दूर रहती थीं लेकिन वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से अब ये भी सभी के साथ मिलकर उनके रहन-सहन उनके संस्कार एवं उनके विकास को देखकर अब ये भी स्वयं के विकास की बात करते हैं।

सारणी 07: वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से जनजातियों की धार्मिक मान्यताएं प्रभावित होने की स्थिति

क्र.	शिक्षा का धर्म पर प्रभाव	पुरूष		महिला		कुल	
		सं	प्रति	सं	प्रति	सं	प्रति
1	हाँ	26	17.33	20	13.33	46	15.33
2	नहीं	124	82.67	130	86.67	254	84.67
	योग	150	100.0	150	100.00	300	100.00

सारणी क्र0 07 में शिक्षा से धर्म के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। जिसमें पुरूष उत्तरदाताओं में से 17.33 प्रतिशत धार्मिक प्रभाव के पक्ष में जबकि 82.67 प्रतिशत धार्मिक प्रभाव के विपक्ष में अपना विचार व्यक्त किये। महिला उत्तरदाताओं में 13.33 प्रतिशत धार्मिक प्रभाव के पक्ष में जबकि 86.67 प्रतिशत धार्मिक प्रभाव के विपक्ष में अपना विचार प्रस्तुत किये। इसी प्रकार कुल पुरूष एवं महिला उत्तरदाताओं में से 15.33 प्रतिशत धार्मिक प्रभाव के पक्ष में जबकि 84.67 प्रतिशत धार्मिक प्रभाव के विपक्षमें अपना विचार प्रस्तुत किये।

अतः इस अधार पर यह कहा जा सकता है कि जनजातीय धर्म पर शिक्षा का प्रभाव अभी उतना नहीं पड़ा है। आज भी जनजातियां अपने धार्मिक उत्सव अपनी परंपरा के अनुसार ही मनाती हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव-

गोंड जनजाति आज भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछडे हुऐ हैं। विभिन्न शासकीय तथा कल्याणकारी-योजनाएं चलाये जाने के बाद भी जो परिवर्तन होना चाहिए वह नहीं हो रहा हैं। शोध निष्कर्ष से यह प्रदर्शित होता है कि चिकित्सा,शिक्षा तथा संस्कृति में परंम्परागत स्थिति आज भी बनी हुई है। अभी भी शिक्षा के प्रति रूझान बहुत कम हैं तथा चिकित्सा में परम्परागत तरीका जैसे झाड-फंूक तथा देशी जडी-बूटियों

पर निर्भर हैं। सरकार तथा गैर-सरकारी संगठनों को जनजातियों के विकास हेतु नयी योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाने होंगे साथ ही पुरानी कल्याणकारी तथा विकास हेतु योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना होगा। साथ ही साथ वहॉ के स्थानीय जन प्रतिनिधियों तथा लोगों की योंजनाएं लागू करने में सहभागिता बढानी होगी। विशेषकर शिक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना होगा क्योंकि जब उनका स्वास्थ्य तथा शिक्षा में विकास होगा तभी उनकी सोच बदलेगी तथा स्वयं के विकास हेतु जागरूक होंगे। महिलाओं को विशेष रूप से शिक्षित करना होगा। चिकित्सा में आधुनिक औषधियों के प्रयोग हेतु जागरूक करना होगा जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही साथ सांस्कृतिक तौर पर भी उनको जागरूक करना होगा ताकि अपने सम्पूर्ण विकास हेतु स्वयं प्रयासरत हों।

संदर्भ

चौधरी, बी.डी.(1982) "ट्राइबल डेव्हलपमेंट इन इंडिया ", इंटर इंडिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

डन्हा, ए.के.(1973) "ट्राइबल इकोनामी एन्ड देयर ट्ान्सफारमेशन ", नई दिल्ली, इंडियन काउंसिल फार सोशल रिसर्च।

डिलीज राबर्ट(1985) "दि भील्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया ", नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

देवगांवकर, एस.जी. "प्राब्लम्स ऑफ डेव्हलपमेंट्स ऑफ ट्ाइबल एरियास ", इंटर इंडिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

देवगांवकर, एस.जी.(1990)"कोरकू ट्ाइबल्स " कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली,

देवगांवकर, एस.जी.-"ट्ाइबल्स डेवलपमेंट प्लान्सः इक्लिमेंटेशन एण्ड इवैलुएशन ", कान्सेप्ट पब्लिशिंग कं., नई दिल्ली।

दुबे एस सी (1977) (संपादित) ट्ाइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वाल्यूम 1. नई दिल्ली विकास।

एल्विन, वेरियर (1963) "ए. न्यू डील फार इंडिया ", नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।

फुक्स, एस. (1960) "दि गोंड एन्ड भूमिया ऑफ ईस्टर्न मंडला ", एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई।

जैन, सी.के. एवं शर्मा एस.के. (1991)"ट्ाइबल्स आफ मध्यप्रदेशः डैबिटेट एण्ड इकानामी " पृ.225-245,

पालीवाल, चन्द्र मोहन, (1986) "आदिवासी-हरिजन आर्थिक विकासः बस्तर जिले के संदर्भ में ", नार्दर्न बुक संेटर, नई दिल्ली।

पटेल, एम.एल. (1984) "ट्ाइबल डेव्हलपमेंट ", इंटर इंडिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

रायजादा, अजित (1984) "ट्ाइबल डेवलपमेंट इन मध्यप्रदेश ", इंटर इंडिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

शर्मा, ब्रम्हदेव, (1986) "आदिवासी विकास-एक सैद्धान्तिक विवेचन " तृतीय आवृन्ति, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।

शर्मा, एस .के.(1989) "रिसोसट डेवलपमेण्ट इन ट्ाइबल इण्डिया ", नार्दर्न बुक सेंटर, नई दिल्ली।

शर्मा, एस.के. (1993) "एक्सप्लवाइटेशन आफ नेचुरल रिसोर्सेस इन ट्ाइबल रीजन्स

तिवारी, डी,एन. (1984 "प्रिमिटिव ट्ाइब्स ऑफ इंडिया ", गवर्नमेंट आफ मध्यप्रदेश मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स, नई दिल्ली।

तिवारी, शिवकुमार (1982)"मध्यप्रदेश के आदिवासी ", मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।

तिवारी शिवकुमार "सीनेरियो ऑफ दि इवैल्यूएशन एन्ड एक्सप्लाइटेशन ऑफ ट्ाइबल रिसोर्स "प्रकाशित कीनोट एड्रेस एट दि नेशनल कान्फ्रेंस, इन्दौर।

तिवारी शिवकुमार (1992) "भारत की जनजातियां ", नार्दन बुक सेंटर, नई दिल्ली।

शर्मा, ब्रहम्देव, (1980) आदिवासी विकासः एक सैद्धान्तिक विवेचन, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।

पूर्रे. जी.एस., (1963) 1963, द शिड्यूल्ड ट्ाइब्स पापूलर प्रकाशन, बम्बई